

परियोजना – अजयगढ़ – पन्ना 132 के.व्ही डीसीएसएस लाइन।
 प्रस्तावक विभाग – एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड।
 प्रस्ताव सं० – FP/MP/TRANS/151776/2022

सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

फार्म 'क', भाग-I
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण –													
(i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण –	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड द्वारा जनपद पन्ना में अजयगढ़ – पन्ना 132 के.व्ही डीसीएसएस लाइन के निर्माण में प्रभावित वन भूमि, रकबा 39.6495 हे० की अनुमति हेतु।												
(ii) 1:50,000 स्केल मैप पर भूमि और वन की सीमा को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है।												
(iii) परियोजना की लागत	रु० 2800 लाख अनुमानित।												
(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य –	अजयगढ़ – पन्ना 132 के.व्ही डीसीएसएस पारेषण लाइन जनपद पन्ना के पन्ना उपकेन्द्र से अजयगढ़ 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र को जोड़ती है। इस क्रम में पन्ना, विश्रामगंज, धरमपुर एवं अजयगढ़ परिक्षेत्र में वन क्षेत्र से पारेषण लाइन गुजर रहा है। वन क्षेत्र को बचाकर निर्माण नहीं किया जा सकता है तथा कोई दूसरा बेहतर विकल्प नहीं है। औचित्य संलग्न है।												
(v) लागत लाभ विश्लेषण	संलग्न है।												
(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना	नियमित रूप से 5 और 18000 अस्थायी श्रम दिवस।												
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण –	पारेषण लाइन के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का विवरण- <table border="1"> <thead> <tr> <th>वनमंडल</th><th>वन भूमि (हे०)</th><th>गैर वन भूमि (हे०)</th><th>कुल (हे०)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>उत्तर पन्ना</td><td>39.6495</td><td>78.1758</td><td>117.8253</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>39.6495</td><td>78.1758</td><td>117.8253</td></tr> </tbody> </table>	वनमंडल	वन भूमि (हे०)	गैर वन भूमि (हे०)	कुल (हे०)	उत्तर पन्ना	39.6495	78.1758	117.8253	कुल	39.6495	78.1758	117.8253
वनमंडल	वन भूमि (हे०)	गैर वन भूमि (हे०)	कुल (हे०)										
उत्तर पन्ना	39.6495	78.1758	117.8253										
कुल	39.6495	78.1758	117.8253										

परियोजना – अजयगढ़ – पन्ना 132 के.व्ही डीसीएसएस लाइन।
प्रस्तावक विभाग – एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड।
प्रस्ताव सं० – FP/MP/TRANS/151776/2022

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है (i) परिवारों की संख्या – (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या – (iii) पुनर्वास योजना(संलग्न किए जाने के लिए) –	नहीं। नहीं। नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत- मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
5. क्षतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण, दण्डस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)–	संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों /दस्तावेजों का ब्यौरा –	संलग्न है।

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता



(सैयद शारिक इमाम)
एसोसिएट मैनेजर – प्रोजेक्ट्स
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड